न्यायालय– चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भिण्ड (म.प्र.)
(सदस्य– अहमद रज़ा)

Registration No.90/2023
Filing No.MACC/506/2023
CNR No.MP30010036272023
Filing Date-17-07-2023

1. राजेश सिंह, उम्र–52 वर्ष,
पुत्र श्री शिवनाथ सिंह राजावत,
निवासी–ग्राम जैतपुरा गढ़ी,
थाना–रौन, जिला–भिण्ड (म.प्र.)

............**आवेदक**

वि रू द्ध

1. रंजीत सिंह राजावत, उम्र–23 वर्ष,
पुत्र श्री कुलदीप सिंह,
निवासी–पेट्रोल पंप के पास, मानपुरा,
भिण्ड, जिला–भिण्ड (म.प्र.)
(वाहन मालिक)

2. कुलदीप सिंह, आयु–28 वर्ष,
पुत्र श्री राजेश सिंह भदौरिया,
निवासी–समीर नगर, पेट्रोल पंप के पीछे,
भिण्ड, जिला–भिण्ड (म.प्र.)
(वाहन चालक)

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
पता–कृष्णा मंदिर फलोर नंबर–1, फाल्का बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.)
(बीमा कंपनी)

..................**अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री धीरेन्द्र भिलवारे, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–1 व 2 द्वारा श्री सुनील श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी, अधिवक्ता।

:: अधिनिर्णय ::
(आज दिनांक–24/01/2025 को पारित)

1. आवेदक ने मोटरयान दुर्घटना से उद्भूत क्षति के प्रतिकर 8,05,000/–रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत अनावेदकगण के विरूद्ध यह क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. क्लेम आवेदन के सार तथ्य यह है कि दिनांक–14.02.2019 को समय रात्रि 10:00 बजे के लगभग जब आवेदक अपनी पत्नी अवध कुमारी व नरेन्द्रसिंह कुशवाह के साथ करौली माता दर्शन करके राजस्थान से तवेरा वाहन क्रमांक–MP07-BA-1240 से लौटकर वापस अपने गांव आ रहा था, तो रास्ते में चरथर मोड़ पर आवेदक के वाहन के आगे एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे आवेदक का वाहन, ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकरा गया, जिससे आवेदक को पसुली, सिर, बांयी जांघ व घुटने में गंभीर चोटें आईं। आवेदक को जिला चिकित्सालय भिण्ड से बी.आई.एम.आर. हॉस्पीटल ग्वालियर में रेफर किया गया, जहां आवेदक दिनांक–15/02/2019 से दिनांक–25/02/2019 तक भर्ती रहा।

3. आवेदक की रिपोर्ट के आधार पर थाना देहात, भिण्ड में अनावेदक क्रमांक–1 के विरूद्ध अपराध क्रमांक–82/19 अंतर्गत धारा–279, 337 एवं 304–ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र श्री चन्द्रशेखर राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो आर.सी.टी. प्रकरण क्रमांक–653/2019 पर दर्ज होकर अभी विचाराधीन है। दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक स्थायी रूप से विकलांग हो गया। घटना के पूर्व आवेदक 20,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था और अपने परिवार का भरण–पोषण

करता था। दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन अनावेदक क्रमांक–3 के यहां बीमित था और अनावेदक क्रमांक–1 उसका पंजीकृत स्वामी एवं अनावेदक क्रमांक–2 उसका चालक था, इसलिये आवेदक को अनावेदकगण से संयुक्त रूप से और पृथक्–पृथक् क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने कर अनुरोध किया।

4. अनावेदक क्रमांक–1 व 2 की ओर से उक्त आवेदन पत्र की लगभग समस्त कंडिकाओं से इंकार करते हुए उनका जवाब में यह कहना है कि उनके वाहन सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। आवेदक ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनके विरूद्ध मामला प्रस्तुत किया है। दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 अनावेदक क्रमांक–3 के यहां बीमित था, यदि मामले में कोई उत्तरदायित्व बनता है, तो वह अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी का बनता है। अतः उपरोक्त आधारों पर उनके विरूद्ध यह क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

5. अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी की ओर से आवेदन पत्र की लगभग समस्त कंडिकाओं से इंकार करते हुए उनका जवाब में यह कहना है कि उल्लंघनकारी वाहन सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 से कोई घटना कारित नहीं हुई है। आवेदक को घटना में कोई गंभीर उपहति एवं स्थाई निःशक्तता कारित नहीं हुई है। घटना की प्राथमिकी अत्यधिक विलंब से लेखबद्ध कराई गई है और उसके विलंब का कोई कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक के वाहन के द्वारा खड़ी ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी गई है, इस कारण तवेरा वाहन क्रमांक–MP07-BA-1240 का चालक स्वयं घटना के लिये उत्तरदायी है और उसके द्वारा ही अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई है। घटना के समय तवेरा वाहन चालक के पास कोई वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। इस प्रकार उक्त घटना के लिये तवेरा वाहन का चालक भी योगदायी/अंशदायी उपेक्षा का दायी है। दुर्घटना दिनांक को उल्लंघनकारी वाहन सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 को कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा रहा था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना पाया गया है, इसलिये बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता है। यदि मामले में अनावेदक क्रमांक–1 व 2 अपना बचाव नहीं करते हैं और आवेदक से दुरभि संधि कर लेते हैं, तो अनावेदक क्रमांक–3 समस्त वादप्रश्नों का धारा–170 मोटर यान

अधिनियम के तहत अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रतिपरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

6. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वादप्रश्नों की रचना की गई है, जिसके समक्ष उनके निष्कर्ष लेख किये जा रहे हैं :—

कमांक	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1—	क्या घटना दिनांक—14.02.2019 समय रात्रि करीब 10:00 बजे, चरथर मोड़ पर भिण्ड में अनावेदक क्रमांक—2 ने अनावेदक क्रमांक—1 के स्वामित्व के सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक—MP30-AB-0565 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगाये, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक के वाहन क्रमांक—MP07-BA-1240 में टक्कर लगने से दुर्घटना कारित हुई ?	'साबित'
2—	क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक को गंभीर उपहति एवं स्थायी विकलांगता कारित हुई ?	'साबित'
3—	क्या अनावेदक क्रमांक—2 द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया गया था ?	'नासाबित'
4—	क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक के वाहन की योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence) थी ?	'नासाबित'
5—	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हॉ तो किससे व कितनी ?	कुल प्रतिफल **2,88,650/— रूपये** निर्धारित। अनावेदकगण संयुक्त रूप से व पृथक—पृथक मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दायी।

6–	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका–43 के अनुसार

–: निष्कर्ष के आधार :–

–: वादप्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष :–

7. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1) की साक्ष्य में यह अभिकथन है कि दिनांक–14.02.2019 को रात्रि 10:00 बजे के लगभग जब वह अपनी पत्नी अवध कुमारी, नरेन्द्र सिंह एवं विनोद के साथ तवेरा वाहन क्रमांक–MP07-BA-1240 से करोली माता के दर्शन करके राजस्थान से अपने गांव वापस आ रहा था, तभी रास्ते में चरथर मोड़ पर उनके वाहन के आगे एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे उनकी तवेरा गाड़ी उस ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकरा गई, जिससे उसे बांये पैर, सीने एवं सिर में चोटें आईं। तवेरा वाहन में बैठे विनोद शर्मा ने 100 नम्बर डायल कर घटना की सूचना दी, तब उसे जिला चिकित्सालय, भिण्ड पहुंचाया गया। दुर्घटना में उनकी तवेरा वाहन के चालक अशोक शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

8. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1) ने अपने पक्ष समर्थन में आपराधिक प्रकरण क्रमांक–653/19 के अभियोग पत्र प्रदर्श पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.2, एम.एल. सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी.5, रैफरल स्लिप प्रदर्श पी.6, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.7, जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी.8, वाहन मालिक द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण प्रदर्श पी.15 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं दवाइयों के बिल एवं चिकित्सा पर्चे प्रदर्श पी.16 लगायत प्रदर्श पी.45, स्थाई निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.47 एवं प्रदर्श पी.48 लगायत प्रदर्श पी.107 प्रस्तुत किये।

9. आवेदक साक्षी नरेन्द्र सिंह (आ.सा.2) एवं विनोद कुमार (आ.सा.3) ने भी घटना का समर्थन करते हुए सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 के चालक के द्वारा लापरवाहीपूर्वक अचानक से ब्रेक लगा देने से उनका तवेरा वाहन ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकरा जाने और दुर्घटना में आवेदक को चोटें आने तथा तवेरा वाहन के चालक अशोक शर्मा की मृत्यु हो जाने का कथन किया है।

10. इसके विपरीत वाहन चालक अनावेदक साक्षी कुलदीप सिंह (अना.सा.1) एवं वाहन मालिक अनावेदक साक्षी रंजीत सिंह (अना.सा.2) ने साक्ष्य प्रस्तुत

कर घटना दिनांक–14.02.2019 को सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 से किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होना बताया है, जबकि वाहन चालक अनावेदक साक्षी कुलदीप सिंह (अना.सा.1) का प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उसने परीक्षण की कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध घटना के संबंध में आपराधिक प्रकरण संचालित है, जो साक्ष्य में चल रहा है। अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.1 में भी अनावेदक क्रमांक–2 कुलदीप सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

11. आवेदक साक्षी नरेन्द्र सिंह (आ.सा.2) का प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसने परीक्षण की कंडिका–4 में यह स्वीकार किया है कि टक्कर होने से वह मौके पर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल में होश आया था, परंतु उसने आगे यह व्यक्त किया है कि वह घटनास्थल पर पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था, इसलिये उसने ट्रेक्टर का नम्बर घटनास्थल पर देख लिया था। आवेदक साक्षी विनोद कुमार (आ.सा.3) का प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसने परीक्षण की कंडिका–5 में यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उल्लंघनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी थी।

12. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1) का प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसने परीक्षण की कंडिका–7 में यह स्वीकार किया है कि कार में पीछे बैठे व्यक्तियों को यह दिखाई नहीं देता है कि आगे कौन–सा वाहन चल रहा है, परन्तु उसने यह स्वीकार नहीं किया है कि घटना के समय ट्रैक्टर सोनालिका क्रमांक–MP30-AB-0565 से घटना कारित नहीं हुयी। वैसे भी आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 में यह उल्लेख है कि दिनांक–14.02.2019 को समय 22:00 बजे चरथर मोड़, लहार रोड, भिण्ड में सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा दिये गये, जिससे तवेरा वाहन क्रमांक–MP07-BA-1240 सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 की ट्रॉली से टकरा गया, जिससे आवेदक राजेश और उसके साथ बैठे नरेन्द्र सिंह, अवध कुमारी एवं वाहन चालक अशोक शर्मा को गंभीर चोटें आईं और अशोक शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

13. आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में यह उल्लेख है कि पुलिस के द्वारा अनुसंधान के अनुक्रम में वाहन चालक अनावेदक क्रमांक–2 कुलदीप सिंह के कब्जे से एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565, जिसमें नीले रंग की

ट्रॉली जुड़ी हुई है तथा ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस तथा प्रदूषण कार्ड की छायाप्रतियां जब्तीपत्रक प्रदर्श पी.8 के माध्यम से जब्त किया गया। वाहन मालिक अनावेदक कमांक–1 रंजीत सिंह ने पुलिस के द्वारा धारा–133 मोटरयान अधिनियम के तहत चाही गयी जानकारी के आधार पर प्रमाणीकरण प्रदर्श पी.15 के माध्यम से यह बताया कि घटना के समय दुर्घटनाकारी सोनालिका ट्रैक्टर कमांक–MP30-AB-0565 को अनावेदक कमांक–2 कुलदीप सिंह के द्वारा चलाया जा रहा था। अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.–1 अनावेदक कमांक–2 कुलदीप सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, इसलिये वाहन चालक अनावेदक साक्षी कुलदीप सिंह (अना.सा.1) एवं वाहन मालिक अनावेदक साक्षी रंजीत सिंह (अना.सा.2) की साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता है कि घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन सोनालिका ट्रैक्टर कमांक–MP30-AB-0565 से दुर्घटना नहीं हुयी।

14. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत–**अनिल तिवारी विरूद्ध साहिब सिंह 2000(1) एम.पी.एल.जे. 59** में यह प्रतिपादित किया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों मे दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को कठोरता से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिये मेरे मत में इन दस्तावेजों को घटना की पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

15. अनावेदक कमांक–3 की ओर से न्यायदृष्टांत–**सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम मनोज बिसला 2012 ए.सी.जे. 1305** प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाहन चालक की उपेक्षा साबित नहीं होती है, तो आवेदक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं है। जहॉ तक अनावेदक कमांक–3 का उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, तो वर्तमान प्रकरण में आवेदक की साक्ष्य से दुर्घटनाकारी वाहन के चालक के द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित किया गया है, इसलिये वर्तमान प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियां अनावेदक कमांक–3 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उसका लाभ अनावेदक कमांक–3 को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

16. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1), आवेदक साक्षी नरेन्द्र सिंह (आ.सा.2) एवं विनोद कुमार (आ.सा.3) की साक्ष्य, दाण्डिक प्रकरणों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की पुष्टिकारक साक्ष्य और उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह अधिसंभाव्य रूप से

प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक–2 के द्वारा अनावेदक क्रमांक–1 के स्वामित्व के सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगा दिये, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक के तवेरा वाहन क्रमांक–MP07-BA-1240 में टक्कर लगने से दुर्घटना कारित हुई। तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष किया जाता है।

–: वादप्रश्न क्रमांक–2 का निष्कर्ष :–

17. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1) की साक्ष्य में यह अभिकथन है कि दुर्घटना में उसे बांये पैर, सीने एवं सिर आदि में चोटें आई थीं, जिसका प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय, भिण्ड में हुआ और अग्रिम उपचार हेतु उसे ग्वालियर रैफर कर दिया था, जहां वह दिनांक–15 फरवरी, 2019 से दिनांक–25 फरवरी, 2019 तक बिरला हॉस्पीटल, ग्वालियर में भर्ती रहा, जहां उसके बांये पैर का ऑपरेशन हुआ और उसके पैर में रॉड डाली गई। आवेदक की ओर से प्रस्तुत एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी.5 से यह प्रकट होता है कि दुर्घटना में आवेदक को पैर, सिर एवं सीने में चोटें आईं। आवेदक की ओर से प्रस्तुत एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.17 से आवेदक को पैर की फैबुला एवं फीमर हड्डी में अस्थि भंग होना पाया गया है। इस तरह स्पष्ट है कि आवेदक को, जो पैर में चोट आई है, वह गंभीर प्रकृति की श्रेणी में आती हैं।

18. आवेदक राजेश सिंह (आ.सा.1) की साक्ष्य में अभिकथन है कि दुर्घटना में उसके पैर में गंभीर चोट आयी, जिससे वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया, जिसके संबंध में उसने विकलांगता प्रमाण पत्र प्र.पी.47 प्रस्तुत किया है। आवेदक साक्षी डॉक्टर आर.के. अग्रवाल (आ.सा.4) की साक्ष्य में यह अभिकथन है कि दिनांक–10.01.2020 को जिला विकलांगता बोर्ड का सदस्य रहते हुये उसने आवेदक राजेश का विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 47 जारी किया था, जिसमें उसके बायें घुटने का मूवमेन्ट जकड़ा हुआ था, जिसमें स्थाई विकलांगता का प्रतिशत 50 था।

19. आवेदक साक्षी डॉक्टर आर.के. अग्रवाल (आ.सा.4) का प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उसने परीक्षण की कंडिका–2 में स्वीकार किया है कि, जो विकलांगता का प्रतिशत 50 है, वह केवल बाये पैर का है, यदि पूरे शरीर की विकलांगता निकाली जायेगी, तो वह कम हो जायेगी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त चोट भविष्य में फिजियोथेरपी से भी ठीक हो सकती है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत–**<u>राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार (2011) 1 एस.सी.सी. 313</u>** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिकरणों को यह निष्कर्ष देना चाहिये कि चोंटों के कारण आहत की अर्जन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा या वे कौन–सा कार्य है, जो वह दुर्घटना के पहले कर सकता था और अब नहीं कर सकता है, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थायी अयोग्यता पर विचार करना चाहिये।

21. न्यायदृष्टांत–**<u>जाकिर हुसैन विरूद्ध साबिर, 2015 ए.सी.जे. 721</u>** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया की दावेदार एक 33 वर्ष का चालक था, उसकी स्थाई अयोग्यता 30 प्रतिशत निर्धारित करते हुये अवार्ड पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया की दावेदार अब कभी भी एक चालक के रूप में कार्य करने के लिये समर्थ नहीं रहा हैं। अतः स्थायी अयोग्यता 100 प्रतिशत मानते हुये अवार्ड पारित किया।

22. न्यायदृष्टांत–**<u>सादिक विरूद्ध डिविजनल मेनेरज यूनाईटेड इंडिया लिमिटेड कंपनी, 2014 वाल्यूम 2 एस.सी.सी. 735</u>** में मामले में श्रमिक, जो 24 वर्षीय सब्जी विक्रेता था, उसकी दाहनी टांग का इम्पूटेशन हुआ था, उसमें यह कहा गया कि मजदूर के लिये टांग का चला जाना उसके जीने का साधन खत्म हो जाने के समान मानते हुये 85 प्रतिशत स्थायी योग्यता निर्धारित की गई थी।

23. उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यदि वर्तमान मामले को देखा जाये तो, आवेदक साक्षी डॉ आर.के. अग्रवाल (आ.सा.4) ने बाये पैर के सापेक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.47 दिया है, जिसमें दाहिने पैर में 50 प्रतिशत स्थायी विकलांगता होना लिखा गया है। चिकित्सक द्वारा आवेदक के बायें घुटने का मूवमेन्ट जकड़ा हुआ पाया था, तब यह माना जा सकता है कि आवेदक अब उतने कुशल तरीके से अपना कार्य नहीं कर सकता था, जितना वह दुर्घटना के पहले कर सकता था और इसका प्रभाव आवेदक को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक पर भी पड़ेगा। उक्त विकलांगता को सम्पूर्ण शरीर के मान से आंकलन किया जाये, तो एक अकुशल कृषक श्रमिक पेशे व्यक्ति के लिए उसका एक पैर बाये घुटने का मूवमेन्ट जकड़ा हुआ होने से अस्थिभंग कारित होना निश्चित ही, उक्त विकलांगता को सम्पूर्ण शरीर की दृष्टि से 10 प्रतिशत से कम होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक अकुशल श्रमिक व्यक्ति का एक पैर के घुटने का

मूवमेन्ट जकड़ जाये, तो वह कृषि मजदूरी का कार्य नहीं कर सकता है। यद्यपि वह उक्त विकलांगता के पश्चात कृषि का कार्य उतने अच्छे से नहीं कर सकता है, जितने अच्छे से वह पूर्व में करता था।

24. अनावेदक कमांक–3 की ओर से तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि डॉक्टर ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करते समय आवेदक का कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है और चोट को ठीक हो जाने की संभावना व्यक्त की है, इसलिये आवेदक को स्थायी विकलांगता नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत–**<u>कमल कुमार जैन विरूद्ध ताजुदीन एवं अन्य 2004 (II) दु.मु.प्र. 510(म.प्र.)</u>** खण्डपीठ ग्वालियर प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थायी विकलांगता होने अथवा आंशिक अशक्तता से अर्जन क्षमता में क्या कमी आयी, इस संबंध में प्रतिकर का निर्धारण करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये है।

25. वर्तमान प्रकरण में चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से आवेदक को स्थायी विकलांगता होना बताया है और उसे न्यायालय में साबित भी किया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में इस संभावना को स्वीकार किया है कि फिजियोथेरेपी कराने से चोटें भविष्य में ठीक हो सकती है, परन्तु इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि आवेदक को स्थायी विकलांगत कारित नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में इस अधिकरण के मत में आवेदक को दुर्घटना के समय बायें घुटने का मूवमेन्ट जकड़ने से, जो अस्थिभंग कारित हुआ था, उसके कारण उसके सम्पूर्ण शरीर की दृष्टि से 10 प्रतिशत की अर्जन क्षमता की कमी वाली स्थायी विकलांगता आयी थी। अतः यह अधिकरण आवेदक को दुर्घटना में आयी गंभीर उपहति के कारण उसे सम्पूर्ण शरीर की दृष्टि से 10 प्रतिशत की अर्जन क्षमता की कमी वाली स्थायी विकलांगता कारित होना निर्धारित करता है। तद्नुसार वादप्रश्न कमांक–2 का निष्कर्ष किया जाता है।

<u>–: वादप्रश्न कमांक–3 का निष्कर्ष :–</u>

26. अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी के यह आक्षेप हैं कि अनावेदक कमांक–1 के पास प्रश्नगत वाहन में संलग्न ट्राली को चलाने के लिए कोई वैध बीमा एवं रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिये बीमा कंपनी उसके लिये दायी नहीं है। इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से सहायक प्रबंधक अम्बुज चतुर्वेदी (अना.सा.3) की साक्ष्य में यह अभिकथन है कि सोनालिका ट्रैक्टर कमांक–MP30-AB-0565 का बीमा रंजीत सिंह के

नाम से दिनांक–02.08.2018 से दिनांक–01.08.2019 तक के लिये कृषि एवं अन्य कार्य के लिये किया गया है, जिसमें ट्रॉली का कोई बीमा नहीं किया गया था और न ही कोई प्रीमियम लिया गया था, इसलिये ट्रॉली से पीछे से वाहन टकराने से बीमा कंपनी ट्रॉली के लिये उत्तरदायी नहीं है।

27. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–2(46) में ट्रेलर शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ''ट्रेलर'' से अर्द्ध–टेलर और साइड कार से भिन्न कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जो मोटर यान के द्वारा खींचा जाता है अथवा खींचे जाने के लिए आशयित है। इस तरह स्पष्ट है कि ट्रॉली अपने आप में चलाययान नहीं है, बल्कि उसे मोटर यान के द्वारा खींचा जाता है। वर्तमान प्रकरण में दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर से ट्रॉली संलग्न होकर खींची जा रही थी, अर्थात् ले जायी जा रही थी, जिसमें पीछे से टक्कर लगने से दुर्घटना होना बताया गया है।

28. दुर्घटना यद्यपि ट्राली में पीछे से टक्कर लगने से हुयी है, परन्तु दुर्घटना के समय ट्राली, ट्रेक्टर के साथ संलग्न थी, जिसे ट्रेक्टर से खींचा जा रहा था। दुर्घटना के समय आवेदक ट्राली में बैठकर जा रहा था, ऐसा साक्ष्य से प्रकट नहीं है, बल्कि साक्ष्य से यही प्रकट है कि ट्रेक्टर–ट्राली के चालक अनावेदक क्रमांक–2 ने ट्रेक्टर पर एकदम से ब्रेक लगा दिया, जिससे आवेदक का वाहन ट्राली से टकरा गया, जिससे वाहन दुर्घटना हुयी और आवेदक घायल हुआ। दुर्घटना ट्राली में सवार होकर आवागमन/परिवहन की नहीं है, बल्कि ट्रेक्टर द्वारा ट्रॉली को खींचा जा रहा था, ट्रॉली स्वयं में चलाययान नहीं है, बल्कि उसे ट्रेक्टर से संलग्न कर चलाया जा रहा था, अर्थात् दुर्घटना मोटरयान सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक–MP30-AB-0565 के चालन से घटित हुई है, जिसका वैध बीमा होना प्रदर्श डी.2 के बीमा पॉलिसी से प्रकट होता है, इसलिये आवेदक तृतीय व्यक्ति की श्रेणी में आता है, इसलिये बीमित ट्रेक्टर से संलग्न ट्राली से दुर्घटना होने के लिये क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व बीमा कंपनी का ही बनता है। वैसे भी अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी का यह अभिवचन नहीं है कि दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर के साथ संलग्न ट्रॉली का बीमा ना होने से बीमा कंपनी दायी नहीं है, बल्कि बीमा कंपनी की ओर से अभिवचन से हटकर ट्रॉली का बीमा न होने की साक्ष्य प्रस्तुत की है, जबकि विधि अनुसार वही साक्ष्य ग्राह्य योग्य है, जिसका अभिवचन किया गया है। अतः बीमा कंपनी को प्रस्तुत साक्ष्य का लाभ दिया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक–3 का निष्कर्ष किया जाता है।

–: वादप्रश्न कमांक–4 का निष्कर्ष :–

29. अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी की ओर से यह आक्षेप है कि दुर्घटना आवेदक के तवेरा वाहन कमांक–MP07-BA-1240 के चालक की योगदायी उपेक्षा के परिणामस्वरूप घटित हुई है, इसलिये आवेदक के वाहन के चालक की भी योगदायी उपेक्षा होने से वह भी उसके लिये उत्तरदायी है। अनावेदक कमांक–3 के द्वारा कथित उपेक्षा के संबंध में किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक कमांक–2, जो कि उल्लंघनकारी वाहन सोनालिका ट्रैक्टर कमांक–MP30-AB-0565 का चालक था, जो कथित उपेक्षा के संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था, परंतु उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न ही बीमा कंपनी के द्वारा अनावेदक कमांक–2 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु परीक्षित कराया गया, इसलिए अनावेदक कमांक–2 की उपेक्षा से संबंधित आवेदक की साक्ष्य खंडित नहीं मानी जा सकती है।

30. अनावेदक कमांक–3 की ओर से तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत–**निशान सिंह विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 2018 सुप्रीम कोर्ट 2118** प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दुर्घटनाकारी वाहन की उपेक्षा न मानते हुये आवेदक के वाहन की उपेक्षा मानी है, जिसके आधार पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं मानी गई। जहॉ तक अनावेदक कमांक–3 को उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, तो उक्त मामले में यह साक्ष्य अभिलेख पर नहीं थी कि दुर्घटनाकारी वाहन के द्वारा अचानक ब्रेक लगा दिया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया था कि आवेदक के द्वारा वाहन तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटनाकारी वाहन से टकरा दी गई थी, जबकि वर्तमान प्रकरण में आवेदक की स्पष्ट साक्ष्य है कि दुर्घटनाकारी वाहन के द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से आवेदक का वाहन उससे टकरा गया था। वर्तमान प्रकरण में अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी की ओर से यह साबित नहीं किया गया कि दुर्घटना में आवेदक के वाहन चालक की उपेक्षा से घटना घटित हुई है, इसलिये वर्तमान प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितिया अनावेदक कमांक–3 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उसका लाभ अनावेदक कमांक–3 को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

31. अनावेदकगण की ओर से वाहन चालक अनावेदक कमांक–2 को साक्ष्य में नहीं बुलाया गया, जबकि वाहन चालक दुर्घटना का सबसे निकट और श्रेष्ठ साक्षी होता

है, जो इस संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है और यदि वाहन चालक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसके विरूद्ध यह उपधारणा ली जा सकती है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही का परिणाम थी। इस संबंध में न्यायदृष्टांत–**मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग विरूद्ध वैजयंती, 1995 ए.सी. जे. 560 (एम.पी.) (डी.बी.)** एवं न्यायदृष्टांत–**पुष्पाबाई विरूद्ध मेसर्स रंजीत जीनिंग एण्ड प्रेसिंग कंपनी प्रायवेट लिमिटेड (1977)(2) एस.सी.सी.745** अवलोकनीय है। अतः यह साबित नहीं है कि दुर्घटना में आवेदक के वाहन की भी योगदायी उपेक्षा रही है। तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक–4 का निष्कर्ष किया जाता है।

–: वादप्रश्न क्रमांक–5 का निष्कर्ष :–

32. आवेदक राजेश (आ.सा.1) ने आवेदन के माध्यम से, अनावेदकगण से कुल 8,05,000/–रूपये की राशि मय ब्याज के क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाये जाने की सहायता चाही है। आवेदक की साक्ष्य में यह अभिकथन है कि घटना में आई चोटों के कारण उसने अपना इलाज बी.आई.एम.आर हॉस्पीटल ग्वालियर में कराया था। आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में इलाज के पर्चे एवं दवाईयों के बिल प्रदर्श पी.18 लगायत प्रदर्श पी.45 एवं प्रदर्श पी.57 लगायत प्रदर्श पी.100 एवं प्रदर्श पी.103 लगायत प्रदर्श पी.105 एवं प्रदर्श पी. 107 प्रस्तुत किये हैं, जिसमें आवेदक के उक्त अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराये जाने का उल्लेख है।

33. आवेदक की ओर से जो आवेदक की ओर से जो बिल प्रदर्श पी.18 लगायत प्रदर्श पी.42, प्रदर्श पी.59 लगायत प्रदर्श पी.98 के दवाईयों, पैथोलॉजी जांचे तथा एडवांस बिल के प्रस्तुत किए गए है, वे अंतिम बिल की राशि प्रदर्श पी.43 में समाहित है, इसलिये प्रदर्श पी.18 लगायत प्रदर्श पी.42, प्रदर्श पी.59 लगायत प्रदर्श पी.98 में उल्लेखित राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार प्रदर्श पी.103 और प्रदर्श पी.107 का बिल एक ही होने के कारण, केवल प्रदर्श पी.103 के बिल की राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से जो प्रदर्श पी.58 का बिल प्रस्तुत किया गया है, वह ऑपरेशन के दौरान पैरों में डाली जाने वाली प्लेट का है, जिसमें उसके क्रय किए जाने की दिनांक–24.03.2019 लेख है, जबकि प्रकरण में संलग्न मेडिकल दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि आवेदक का इलाज व ऑपरेशन दिनांक–15.02.2019 से दिनांक–25.02.2019 के मध्य हुआ है और दिनांक–

25.02.2019 को आवेदक को डिस्चार्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि अंतिम बिल प्रदर्श पी.43 से होती है, जिसमें उक्त अवधि में आवेदक का ऑपरेशन होने का उल्लेख है, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत बिल प्रदर्श पी.58 में उल्लेखित राशि आवेदक को दिलाया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

34. आवेदक की ओर से प्रस्तुत शेष बिलों प्रदर्श पी.43, प्रदर्श पी.99, प्रदर्श पी.100, प्रदर्श पी.103, प्रदर्श पी.104, प्रदर्श पी.105 एवं प्रदर्श पी.107 में उल्लेखित कुल राशि का योग **1,06,460**/–रूपये है, जो समसंख्यांक में **1,06,500/–रूपये** इलाज पर हुए वास्तविक खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। आवेदक ने अपना इलाज बिरला अस्पताल ग्वालियर में कराया है, जिसके लिये वह निश्चित ही किसी साधन द्वारा आया और गया होगा, इसलिये आवेदक को **3,000/– रूपये** की राशि परिवहन व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाना समीचीन है।

35. दुर्घटना में आवेदक पैर की फैबुला एवं फीमर हड्डी में अस्थि भंग कारित हुआ, जिसका ऑपरेशन कर पैर में रॉड डाली गयी है, जिसका इलाज उसने बी. आई.एम.आर. हॉस्पीटल ग्वालियर में कराया है, जिस कारण वह कुछ दिनों तक अपना कार्य करने में असमर्थ रहा है। अतः यह कल्पना की जा सकती है कि आवेदक को दुर्घटना में आई गंभीर उपहति के कारण उसे अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। अतः यह अधिकरण आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिए कुल **30,000/– रूपये** की राशि स्वीकृत करना समीचीन पाता है।

36. आवेदक इलाज के दौरान अस्पताल मे भर्ती रहा है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत बी.आई.एम.आर. हॉस्पीटल ग्वालियर की अंतिम बिल प्रदर्श पी.43, जिसमें आवेदक के दिनांक–15.02.2019 से दिनांक–25.02.2019 तक उक्त अस्पताल में भर्ती होने का उल्लेख है। इस प्रकार आवेदक कुल 11 दिन अस्पताल में भर्ती रहा है। इस कारण उक्त 11 दिन के लिए आवेदक ने एक न एक व्यक्ति सहायक के रूप में रखकर राशि खर्च की होगी, जिसके भुगतान की कल्पना आवेदक से स्वयं नहीं की जा सकती है। अतः यह अधिकरण आवेदक को सहायक व्यय के रूप में कुल 11 दिन की राशि स्वीकृत किया जाना न्यायोचित जाता है। एक व्यक्ति का एक दिन का रहने, खाने एवं मजदूरी के नुकसान के लिए 500/–रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 11 दिन के लिए आवेदक को **5,500/–** रुपये सहायक के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

37. आवेदक ने विशेष आहार के रूप में भी व्यय की गयी राशि की मांग की है। जहां तक आवेदक को दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके हुए उपचार के दौरान लिए गये विशेष आहार पर व्यय की गई राशि को दिलाये जाने का प्रश्न है, तो यह कल्पना की जा सकती है कि उसने करीब 60 दिन तक विशेष आहार लेकर राशि खर्च की होगी, इस कारण यह अधिकरण 60 दिन की राशि विशेष आहार व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाता है। एक व्यक्ति के लिए एक दिन का 100/-रुपये के हिसाब से आवेदक का 60 दिन के लिए कुल **6,000/-** रुपये की राशि विशेष आहार व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाना इस अधिकरण के मद में न्यायोचित है।

38. आवेदक को आयी स्थायी निर्योग्यता के कारण होने वाली भावी उपार्जन की क्षति के शीर्ष में राशि दिलाये जाने का प्रश्न है, तो वादप्रश्न क्रमांक-2 मे दिये गये निष्कर्ष से यह पाया गया है कि आवेदक को दुर्घटना में आई स्थायी विकलांगता के कारण उसके सम्पूर्ण शरीर की दृष्टि से 10 प्रतिशत की अर्जन क्षमता की कमी वाली स्थाई विकलांगता कारित हुई है। आवेदक ने स्वयं को दुर्घटना के पूर्व आटा चक्की चलाने एवं खेती का काम करके 25,000/-रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है, परन्तु अर्जित की जा रही कथित आय के संबंध मे अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। चूंकि आवेदक की कोई निश्चित आय प्रमाणित नहीं है, इसलिये आवेदक अनुमानित आय पर विचार करना न्यायोचित होगा। इस कारण यह कल्पना की जा सकती है कि आवेदक करीब 90 दिन तक कोई कार्य न कर सका होगा। इस कारण यह अधिकरण आवेदक को कार्यहानि के रूप में 90 दिन की राशि स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाता है। आवेदक की अनुमानित आय **6,118**/-रूपये प्रतिमाह मानी गयी है और उक्त अवधि की क्षति **18,354/- रूपये** है, जो समसंख्यांक में **18,350/-रूपये** निर्धारित की जाती है।

39. आवेदक ने दुर्घटना के समय अपनी आयु 52 वर्ष बताया है, परंतु स्वयं की आयु व जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये। आवेदक की ओर से, जो मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 प्रस्तुत की गयी है, उसमें उसकी आयु 52 वर्ष, डिस्चार्ज समरी में 50 वर्ष एवं विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.47 में 50 वर्ष होना लेख है। चूंकि मेडिकल दस्तावेज में आयु अनुमान के आधार पर या परिजनों द्वारा लिखाई जा सकती है, परंतु आवेदक की ओर से, जो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.47 प्रस्तुत किया गया

है, उसमें आवेदक की आयु 50 वर्ष होना लेख है, जो कि आवेदक के बताये अनुसार लेख की जाती है, इस प्रकार आवेदक की आयु घटना के समय 50 वर्ष मानी जाती है। इस कारण न्यायदृष्टांत–**नेशनल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य 2017 भाग–13 इस्केल पेज 12,** न्यायदृष्टांत–**हेमराज विरूद्ध ओरिऐंटल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 ए.सी.जे.पेज 5** एवं न्यायदृष्टांत– **सिविल अपील कमांक 2217/2018, जगदीश विरुद्ध मोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2018** में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार, आवेदक की प्रमाणित पाई गई अनुमानित कुल आय **6,118 × 12=73,416**/–रूपये प्रतिवर्ष में उसकी भविष्य की संभावनाओं के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर आवेदक की दुर्घटना के समय कुल आय 91,770/–रूपये प्रतिवर्ष होना प्रमाणित पाई जाती है।

40. आवेदक को सम्पूर्ण शरीर की दृष्टि से 10 प्रतिशत अर्जन क्षमता की कमी वाली स्थाई विकलांगता मानी गयी है। इस कारण आवेदक की प्रमाणित मानी गई वार्षिक आय 91,770/–रूपये में 10 प्रतिशत के हिसाब से 9,177/– रूपये प्रतिवर्ष की कमी आई है। आवेदक की उम्र 50 वर्ष होना मानी गयी है। इस कारण न्यायदृष्टांत– **सरला वर्मा विरूद्ध देहली परिवहन निगम 2009 भाग 6 एस.सी.सी. पेज 21** में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार आवेदक की उम्र 50 वर्ष पर 13 का गुणांक प्रयोज्य किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदक की प्रमाणित पाई गई कुल आश्रितता 9,177/–रूपये प्रतिवर्ष में 13 का गुणक प्रयोज्य किये जाने पर आवेदक की कुल आश्रितता 9,177 × 13=**1,19,301/–रूपये** होना प्रमाणित पायी जाती है।

41. उपर्युक्त समस्त राशि का योग करने पर कुल प्रतिफल की राशि **2,88,651/–रूपए है, जो समसंख्याक में 2,88,650/–(दो लाख अठासी हजार छः सौ पचास रूपये)** निर्धारित की जाती है और इस राशि पर दिनांक–17.07.2023 से 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है।

42. अनावेदक क्रमांक–2, जो कि वाहन चालक है, जिसकी उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है, इसलिये वह प्रत्यक्ष रूप से उक्त प्रतिकर एवं देय ब्याज के संदाय के लिए उत्तरदायी है तथा वह, अनावेदक क्रमांक–1 के नियोजन में ट्रेक्टर चला रहा था, इस कारण से वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक–1 भी प्रतिकर एवं देय ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। वाहन तृतीय व्यक्ति के जोखिम के लिए अनावेदक क्रमांक–3 के

यहॉ बीमित था, इसलिए अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी भी प्रतिकर एवं ब्याज के लिए उत्तरदायी है। तद्नुसार वाद प्रश्न क्रमांक–5 का निराकरण किया जाता है।

<u>–: वादप्रश्न कमांक–6 अनुतोष एवं वाद व्यय :–</u>

43. फलतः क्लेम आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और निम्नलिखित आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1– अनावेदकगण संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक आवेदक को कुल **2,88,650/–(दो लाख अठासी हजार छः सौ पचास रूपये)** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें।

2– अनावेदकगण संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक आवेदक को क्लेम आवेदन प्रस्तुति दिनांक–17.07.2023 से वसूली दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करेंगे।

3– सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज एवं खर्च के अधिकरण में जमा होने पर उक्त राशि में से 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपए) नगद तौर पर आवेदक के बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जाये, शेष राशि आवेदक के नाम तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जाये, जिस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान आवेदक को प्रत्येक माह में उसके बचत खाते के माध्यम से किया जाये।

4– आवेदक के नाम जमा की जाने वाली राशि पर कोई ऋण एवं भार अधिरोपित नहीं किया जायेगा और उक्त राशि का भुगतान अधिकरण के आदेश के बगैर नहीं किया जायेगा।

5– अनावेदकगण अपना तथा आवेदक का वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) निर्धारित किया जाता है।

6– उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में पारित।

मेरे निर्देशन मे टंकित।

सही/–
(अहमद रज़ा)
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भिण्ड (म0प्र0)

सही/–
(अहमद रज़ा)
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भिण्ड (म0प्र0)

<u>व्यय तालिका</u>

कमांक	**सूची**	**आवेदक**	**अनावेदक कमांक 1 व 2**	**अनावेदक कमांक 3**
1	दावा	30.00	–	–
2	आवेदन	60.00	–	10.00
3	वकालतनामा	10.00	10.00	10.00
4	तलवाना	09.00	–	–
5	शपथपत्र	10.00	–	–
6	प्रमाणित प्रतिलिपि	75.00	–	–
योग		**194.00**	**10.00**	**20.00**

आवेदक का व्यय–194.00/–(अंकन एक सौ चौरानवे रुपये)
अनावेदक क्रमांक–1 व 2 का व्यय–10.00/–(अंकन दस रुपये)
अनावेदक क्रमांक–3 का व्यय–20.00/–(अंकन बीस रुपये)

सही/–
(अहमद रज़ा)
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भिण्ड (म0प्र0)